

राजस्थान सरकार




आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ1(01)पीएस/निकाशि/2013/ 115

दिनांक : 25-02-19

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की अनुशंसा पर प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2016 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित महाविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाकर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम एवं पता	श्रेणी	जन्म तिथि	मेरिट क्रमांक	अभ्यर्थी का फोटो	पदस्थापन का महाविद्यालय/ कार्यालय
1.	कुमारी हिना चौहान पुत्री श्री तारा चन्द चौहान मकान नं. डी-261/262, सेक्टर डी, पंचवटी कॉलोनी, जिला-भीलवाड़ा पिन-311001	SC	01.07.1992	3711		राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा
2.	श्री हरकेश कुमार मीना पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना, ग्राम-टोड़ा मीणा, पोस्ट-नांगल राजावतान, तह0 रामगढ़ पंचवारा, जिला-दौसा पिन-303505	ST	01.12.1995	3094		राजकीय महाविद्यालय, बासकृपाल नगर (अलवर)
3.	श्री दिलखुश मीना पुत्र श्री सुवालाल मीना, ग्राम-कुण्डिया, पोस्ट-खोहल्या, तह0 उनियारा जिला-टोंक पिन-304024	ST	15.03.1993	3101		राजकीय महाविद्यालय, बावड़ी (जोधपुर)
4.	श्री विनोद निनामा पुत्र श्री लक्ष्मण निनामा, मु. तोरगिया, पोस्ट-लिमथान तह0 व जिला बांसवाड़ा पिन-327604	ST (Scheduled Area)	07.06.1994	448		राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा कन्या

- उक्त अभ्यर्थियों को 02 वर्ष तक परिवीक्षा काल के लिए मासिक स्थिर परिलाभ रूपये 18500/- पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
- परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षा काल को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिना जावेगा।
- परिवीक्षा काल में स्थिर परिलाभों में से कोई कटौतियां यथा जी0पी.0एफ तथा एस.आई नहीं की जावेगी और इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा।

4. दो वर्ष का परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्र० एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30-10-17 एवं 9-12-17 की अनुसूची IV (नियम सं० 16) की क्रम सं० 8 में अंकित पे मेटिक्स लेबल नं० 8 (L-8) का न्यूनतम देय होगा।
5. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 29.01.04 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसार इनके नियत पारिश्रमिक से एन.पी. एस. में 10 प्रतिशत की कटौती होगी।
6. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संतान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
7. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति वित्त (नियम)विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.06, एफ12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.06, एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.06, एफ6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.06, एफ16 (2) एफडी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.06 एवं एफ14(1)एफडी/रूल्स/2009 दिनांक 12.10.09 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित परिपत्रों के अधीन होगी।
8. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्न मेडिकल, कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 01.01.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।
9. उपरोक्त अभ्यर्थियों में से क्रम सं० 2, 3 व 4 की चरित्र सत्यापन भिजवाने हेतु संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित प्राचार्य को भिजवा दी जावेगी। यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन है। कम संख्या 01 पर अंकित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन कराया जा चुका है जिनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट की प्रति आदेश के साथ संलग्न की जा रही है।
10. कम संख्या 01 पर अंकित अभ्यर्थी की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर 741/2018 एवं 1936/2018 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।
11. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने से 15 दिवस के भीतर तक आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा इनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। उक्त तिथि के पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।

(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक: एफ1(85) पीएस/निकाशि/2013/115

दिनांक : 25-02-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.14(54)RSMSSB/अर्थना/प्रयो.सहा./पात्रता/जॉच/17/3088 दिनांक 31.07.2018, 09 दिनांक 03.01.2019 एवं 129 दिनांक 29.01.2019 के संदर्भ में।
- 2- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 3- संबंधित प्राचार्य - कृपया संबंधित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तथा उनके द्वारा जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति आदि के मूल कागजात पेश करने पर नियुक्ति संबंधी मूल आवेदन पत्र के साथ लगे कागजातों की प्रतियों का मिलान करके ही कार्यभार ग्रहण करने दिया जावे। इनका मूल आवेदन पत्र मय संलग्नों एवं चरित्र सत्यापन रिपोर्ट की प्रति के संलग्न किया जा रहा है (एक सेट- पृष्ठ)।

- 4- संबंधित अभ्यर्थी -कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, चिकित्सालय मेडीकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित प्राचार्य को प्रस्तुत करें तथा नियुक्ति संबंधी मूल आवेदन पत्र के साथ लगाये गये जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति आदि के कागजातों की प्रतियों का मिलान करने हेतु मूल कागजात साथ लेकर जावें।
- 5- वेबसाइट प्रभारी, **कृपया वेबसाइट पर अपलोड करावे।**
- 6- स्थापना शाखा/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

  
25/2/19  
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।